230

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3605-दो/15 विरूध्द आदेश दिनांक 30/9/2015 पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 476/अपील/13-14.

1 दिनेन्द्र कुमार पाराशर
2 सुरेन्द्र कुमार पाराशर
3 नरेन्द्र कुमार पाराशर
तीनों पुत्रगण स्व0 श्री बंशीधर पाराशर
कृषक ग्राम बाईबोडी तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर म0 प्र0
4 श्रीमती निर्मला साकल्ल पत्नि श्री अशोक साकल्ल
पुत्री स्व0 श्री बंशीधर पाराशर निवासी एमआईजी 18
श्रीरामेश्वरम एक्स बाग मुगालिया भोपाल

- आवेदकगण

- विरूध्द -

1 रमेश चन्द्र पाराशर आत्मज स्व0 श्री एम0 डी0 पाराशर
कृषक ग्राम बाईबोडी नि0 ई-5 /135 अरेरा कालोनी
भोपाल म0 प्र0
2 मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर सीहोर म0 प्र0

- अनावेदकगण

निग0प्र0क्र0 3605-दो/15

श्री डी0 के0 सक्सैना एवं श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक आवेदकगण
श्री रमेशचन्द्र पाराशर एवं श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

आ दे श

(आज दिनांक 31/03/2016 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 3605-दो/15 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्र क्र 476/अपील/13-14 में पारित आदेश दि 30-9-2015 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

इस न्यायालय के समक्ष का आवेदकपक्ष बंशीधर और अनावेदकपक्ष मुरलीधर का वंशज है. बंशीधर और मुरलीधर सगे भाई थे, जिनके संयुक्त खाते में उनकी पैतृक भूमि, कुल रकबा १६५.३४ एकड़, समान हिस्सों में थी. बंशीधर ने मुरलीधर की सहमति से, जो विक्रयपत्रों में अभिलिखित थी, अपने हिस्से की भूमि से २१.३२ एकड़ बालकृष्ण जोशी को और १९.३७ एकड़ शिवनारायण जोशी को बेचे. इसके उपरांत बंशीधर और मुरलीधर ने अपने अपने हिस्सों से २.१५ - २.१५ एकड़ शिवकुमार को **बेचे**. इस सबके बाद बंशीधर और उनके के वंशजों के पक्ष के पास ३९.८३ एकड़ और मुरलीधर और उनके के वंशजों के पक्ष के पास ८०.५२ एकड़ बचे, जो मोटे तौर पर १/३-२/३ के अनुपात में थे. किन्तु राजस्व अभिलेखों में सम्बन्धित प्रविष्टि १/२-१/२ के अनुपात की रही.

अनावेदकपक्ष ने इसके सुधार हेतु म प्र भू रा संहिता (संहिता) की धारा ११३ के अंतर्गत अनु अधि, नसरुल्लागंज के समक्ष आवेदन लगाया, प्र क्र १२०५/बी-१२१/११-१२

के आदेश दि २७-२-१३ से अस्वीकार हुआ. इसके विरुद्ध अनावेदकपक्ष ने अपर कलेक्टर, सीहोर के समक्ष अपील की, जो प्र क्र ५०/अपील/१३-१४ के आदेश दि २-६-१४ से अस्वीकार हुई. इसके विरुद्ध अनावेदकपक्ष ने अपर आयुक्त, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील की, जो आक्षेपित आदेश से स्वीकार हुई. उसके विरुद्ध यह निगरानी रा मं में प्रस्तुत हुई है.

[३] मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने.

आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में निगरानी मेमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए यह कहा कि (१) अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश से लिपिकीय त्रुटि सुधार की आड़ में दोनों पक्षों के हिस्सों का पुनर्निर्धारण कर दिया है, (२) यह कि उन्होंने अपना निर्णय आवेदकपक्ष को बिना सुने लिया है, और (३) कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अनियमितताओं पर निर्णय देना चाहिए था, उन्हें प्रकरण के तथ्यों पर निर्णय नहीं देना चाहिए था. अपने समर्थन में उन्होंने न्यायदृष्टान्त २०१० रा नि ३००, २०१० रा नि ३३४, २०१२ रा नि ३४२, २२०७ रा नि ३१३ और १९८४ रा नि ३२६ की प्रतियाँ पेश कीं.

अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने दोनों पक्षों के हिस्से उनके अनुसार १/३-२/३ के अनुपात में होने के आधारों का खुलासा करते हुए यह तर्क किये कि (१) आवेदकपक्ष को अनु अधि के समक्ष के धारा ११३ के प्रकरण की जानकारी अनु अधि के समक्ष के सीलिंग के प्रकरण के साथ थी, जिस वजह से यदि वे चाहते तो धारा ११३ के प्रकरण में पक्षकार बनने का आवेदन लगाकर अपना पक्ष रखने का प्रयास कर सकते थे, किन्तु उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका हित हिस्से १/३-२/३ के अनुपात में किये जाने से प्रभावित हो ही नहीं रहा था क्योंकि वही हिस्से का सही अनुपात था और उनके पास उसका खंडन करने के कोई आधार उपलब्ध नहीं थे, (२) यदि लिपिकीय भूल स्पष्ट हो तो उस भूल के सुधार किये जाने से प्रभावित होने

वाले पक्ष की सहमति आवश्यक नहीं होती, उसे धारा ११३ के अंतर्गत उपखंड अधि स्वयं सुधार सकते हैं, (३) अपर आयुक्त ने हिस्सों का निर्धारण नहीं किया है, केवल उन्हें सही से पहचाना है, जिसके लिए उन्होंने आधारों को पूरी तरह स्पष्ट किया है. अपने समर्थन में उन्होंने न्यायदृष्टान्त द्वारिकाप्रसाद वि म प्र शासन, १९९३ रा नि ५२ प्रस्तुत किया.

[४] प्रस्तुत तर्कों और अभिलेख के परिशीलन के आधार पर प्रकरण में मुख्य विचार योग्य बिंदु निम्नानुसार समक्ष आते हैं:

(१) क्या बंशीधर के वंश का १/३ और मुरलीधर के वंश का २/३ हिस्सा वादभूमि में है?

(२) यदि हाँ, तो क्या बंशीधर-मुरलीधर के वंशों के १/२-१/२ के मान से हिस्से की प्रविष्टि के स्थान पर १/३-२/३ (क्रमशः) के मान से हिस्से की प्रविष्टि संहिता की धारा ११३ के अधीन बगैर आवेदकपक्ष (बंशीधर के वंशज) की सहमति के की जा सकती थी? या उसके लिए अन्य विधिक उपाय की जरूरत थी?

[५] उपरोक्त बिंदु [४](१) के सम्बन्ध में अनावेदकपक्ष ने अनु अधि न्या. के समक्ष धारा ११३ के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दि २-३-१२ (अनु अधि की जिसपर प्रारम्भिक तर्क हेतु २१-३-१२ की मार्किंग है) में विस्तार से यह लिखा है कि बंशीधर-मुरलीधर के वंशों के १/२-१/२ के मान से हिस्से की प्रविष्टि के स्थान पर १/३-२/३ (क्रमशः) के मान से हिस्से की प्रविष्टि क्यों होनी चाहिए.

अपर आयुक्त ने भी इसकी विस्तृत विवेचना अपने आक्षेपित आदेश में करके अपना निष्कर्ष निकाला और निर्णय लिया है.

अनावेदकपक्ष की इस क्लेम और उसके आधारों का आवेदकगण द्वारा जो विरोध किया जा रहा है उसके समर्थन में उन्होंने (आवेदकगण ने) कोई भी आधार रा

मं के समक्ष प्रस्तुत निगरानी मेमो या तर्क में प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनके प्रकाश में यह माना जा सके कि यदि उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पक्षसमर्थन का अवसर मिला होता तो वे कुछ ऐसा वहां प्रस्तुत करते जिसके आधार पर अनावेदकपक्ष की क्लेम को गलत माना जाना सम्भव या उपयुक्त होता.

अपर आयुक्त ने अपने आदेश यह भी लिखा है कि अनु अधि के समक्ष प्रचलित सीलिंग प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आवेदकपक्ष को धारा ११३ के अधीन वहां प्रचलित प्रकरण की जानकारी थी और इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि वे चाहते तो अनु अधि के समक्ष धारा ११३ के उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने का आवेदन लगाकर पक्षकर बन सकते थे और अपना पक्ष रखने का प्रयास कर सकते थे. किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यही प्रतीत होता है कि उनके पास बंशीधर-मुरलीधर के वंशों के १/२-१/२ के मान से हिस्से की प्रविष्टि के स्थान पर १/३-२/३ (क्रमशः) के मान से हिस्से की प्रविष्टि सम्बन्धी अनावेदकपक्ष की क्लेम का विरोध करने के कोई आधार नहीं थे. इसके आगे अपर आयुक्त ने धारा ११३ प्रकरण विचारयोग्य पाने के कारण अभिलिखित करते हुए अपना आदेश पारित किया है.

उपर लिखी समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा इस सम्बन्ध में समाधान हैं कि यदि आवेदकपक्ष के पास बंशीधर-मुरलीधर के वंशों के १/२-१/२ के मान से हिस्से की प्रविष्टि के स्थान पर १/३-२/३ (क्रमशः) के मान से हिस्से की प्रविष्टि सम्बन्धी अनावेदकपक्ष की क्लेम का विरोध करने के कोई ठोस आधार होते तो वे उन्हें इस न्यायालय के समक्ष रखते, या धारा ११३ के प्रकरण की जानकारी होने के कारण अधीनस्थ न्या. के समक्ष पक्षकार बनाए जाने का आवेदन लगाकर वहां रखने का प्रयास करते. क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसे में इस आदेश के उपरांत यदि फिर प्रकरण उन्हें ऐसा अवसर देने के लिए प्रत्यावर्तित किया जाता है तो अनुचित तौर पर विलंबित न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा जो न्यायोचित नहीं होगा.

अतः, मैं उपर लिखा बिंदु [४](१) 'क्या बंशीधर के वंश का १/३ और मुरलीधर के वंश का २/३ हिस्सा वादभूमि में है' का उत्तर 'हाँ' मानता हूँ. मेरा यह निष्कर्ष उनके हिस्सों या स्वत्वों का निर्धारण ना होकर, अपर आयुक्त के निर्णय से सहमत होते हुए, केवल उनके विद्यमान स्वत्वों को सही रूप में पहचानने का प्रभाव ही रखता है. यदि पक्षकार इस विषय के अंतर्गत अपने स्वत्वों का किसी अन्य रीति में निर्धारण चाहते हैं, तो उसके लिए उनके पास व्यवहार वाद के माध्यम से ऐसा कराने का विकल्प उपलब्ध है.

[६] जहाँ तक उपर लिखे बिंदु क्र [४](२) का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में संहिता की धारा ११३ में यह स्पष्ट लिखा है कि लेखन सम्बन्धी किन्ही भी गलतियों को उपखंड अधि शुद्ध कर या करा सकेगा. इसके अतिरिक्त न्यायदृष्टान्त द्वारिकाप्रसाद वि म प्र शासन, १९९३ रा नि ५२ में यह स्पष्ट किया गया है कि 'धारा ११३ के अधीन दो शर्तें हैं - दोनों का पूरा होना आवश्यक नहीं है - केवल लिपिकीय भूल - धारा ११३ के उपबन्ध आकर्षित - उपखंड अधि द्वारा ऐसी भूल लाभान्वित व्यक्ति की सहमति के बिना भी सुधारी जा सकती है'.

अपर आयुक्त के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि विषयांकित १/२-१/२ हिस्से की प्रविष्टि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में क्यों मानी जानी चाहिए. अपर आयुक्त के आदेश में स्पष्ट हैं कि बंशीधर के वंश का १/३ और मुरलीधर के वंश का २/३ हिस्सा वादभूमि में होना क्यों माना जाना चाहिए जिससे यह न्यायालय, इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा [५] में की गई विवेचना के आधार पर, सहमत है. पूर्व पैरा [५] में यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि इस या अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में स्वत्वों को निर्धारित नहीं किया जा रहा बल्कि केवल उन्हें पहचाना जा रहा है. ऐसे में, जब स्वत्वों की स्थिति स्पष्ट है, तो उनकी प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में सही बनाना और सही रखना राजस्व अधिकारियों और न्यायालयों का दायित्व है.

न्यायदृष्टान्त द्वारिकाप्रसाद वि म प्र शासन, १९९३ रा नि ५२ में यह भी लिखा है कि 'यदि लिपिकीय भूल से किसी व्यक्ति को बिना अधिकार के उस अभिलेख की उस प्रविष्टि से लाभ मिलता है तो वह कभी सहमत नहीं होगा कि इस भूल को धारा ११३ के अंतर्गत सुधारा जाए. ऐसी स्थिति में लिपिकीय भूल होने के बावजूद सुधार की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी तथा अनावश्यक विवाद जारी रहेगा जो इस धारा की मंशा के खिलाफ है. धारा ११३ की स्पष्ट मंशा है कि लिपिकीय भूल को उसके अंतर्गत सुधारा जाए चाहे भूलवश की गई प्रविष्टि से लाभान्वित होने वाला पक्षकार सहमत हो या ना हो'. मैं इस न्यायदृष्टान्त के इस अंश को इस वर्तमान प्रकरण में पूरी तरह लागू पाता हूँ. अतः, मैं अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष से खुद को सहमत पाता हूँ कि जब इस प्रकरण में अभिलेख पर लिपिकीय त्रुटि स्पष्ट है तो ऐसी लिपिकीय त्रुटि से लाभान्वित होने वाला पक्ष सहमत हो या ना हो, ऐसी लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जाना ही चाहिए जिसके लिए उस (लाभान्वित होने वाले) पक्ष की सहमति धारा ११३ के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक नहीं है.

[७] विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में पूर्व पैरा ५ और ६ में समुचित विवेचना की जा चुकी है, जिसमे उनके तर्कों के अधिकांश बिंदु कवर किये जा चुके हैं.

अतः, आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क कि (१) अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश से लिपिकीय त्रुटि सुधार की आड़ में दोनों पक्षों के हिस्सों का पुनर्निर्धारण कर दिया है और (२) कि उन्होंने अपना निर्णय आवेदकपक्ष को बिना सुने लिया है, को उपर की जा चुकी विवेचना के प्रकाश में मैं इस प्रकरण में मानी किये जाने योग्य नहीं पाता. उनका यह तर्क कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अनियमितताओं पर निर्णय देना चाहिए था, उन्हें प्रकरण के तथ्यों पर निर्णय नहीं देना चाहिए था, के तारतम्य में मेरा यह मत है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार करके अपने अधीनस्थ न्यायालयों की

अनियमितताओं पर ही विचार किया है क्योंकि उनके अधीनस्थ न्यायालयों ने वह सही से नहीं किया था. साथ ही उन्हें अपने न्यायालय के प्रकरण में सही और न्यायपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए ऐसा करना जरूरी भी था. अतः उन्होंने यह करके कोई गलती नहीं की. इसी अनुक्रम में मैं आवेदकपक्ष के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत न्यायदृष्टान्तों को भी अध्ययन उपरांत इस प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू नही पाता हूँ. दूसरी ओर, अनावेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों और न्यायदृष्टान्तों को मैं यहाँ पूरी तरह लागू पाता हूँ.

[८] उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दि 30-09-15 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता हूँ, और उसे यथावत रखते हुए यह निगरानी अस्वीकार करता हूँ.

आदेश पारित.
पक्षकार सूचित हों.
अभिलेख वापस हो.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर